प्रेस नोट दिनांक- 05.11.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 52/2020 धारा2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मऊ, चित्रकूट से संबंधित वांछित अभियुक्त महमूद हसन पुत्र नसीमुद्दीन निवासी मलिकपुर थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज, को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री रविप्रकाश प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़
2. उ0नि0 श्री देवेंद्र कुमार ओझा
3. आरक्षी राहुल यादव
4. आरक्षी शिवधनी

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 05.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम मानिकपुर द्वारा एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा सरस्वती भरत मंदिर विद्यालय में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा तुलसी इण्टर कॉलेज राजापुर में छात्राओं के साथ गोष्ठी की एवं अन्य थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा ग्रामों, बाजारों, बस स्टैण्ड, प्रमुख चौराहों, में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियों टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया। विभिन्न थाना स्तर की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा आवारा रूप से घूम रहे संदिग्ध लड़कों से पूछताछ की गयी तथा हिदायत दी गयी।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(3). यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनाँक 05.11.2020 को यातायात निरीक्षक श्री घनश्याम पाण्डेय एवं यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु ट्राफिक चौराहा कर्वी, मण्डी गेट, मंदाकिनी पुल एं बेड़ी पुलिया में वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान तीन सवारी, बिना मास्क, बिना हेलमेट. ओवर स्पीड एवं बिना सीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 94 वाहनों का चालान किया गया। 74वाहनों से 77000 रुपये पेंडिंग ई-चालान किया गया तथा बिना मास्क घूम रहे 20 व्यक्तियों से 2800 रूपये जुर्माना वसूला गया। इस दौरान वाहन चालकों को पम्पलेट्स के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गयी।

(4). यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 05.11.2020 को प्रभारी यातायात श्री घनश्याम पाण्डेय की अध्यक्षता में जे. एम. बालिका इण्टर कालेज कर्वी में छात्राओं की गोष्ठी की गयी | छात्राओं को यातायात के नियमों के सम्बन्ध में भली भांति अवगत कराया गया तथा यातायात निमयों के पम्पलेट वितरित किये गये। इस गोष्ठी के दौरान छात्राओं से कहा गया कि घर जाकर अपने परिवारिजों एवं रिश्तेदारों को भी

यातायात नियमों के प्रति जागरुक करें तथा किसी को भी घर से बिना हेलमेट के न निकलने दे यदि कोई बिना हेलमेट घर से निकलता है तो उन्हे हेलमेट लगाने के लिये कहें। यातायात नियम हम सबकी सुरक्षा के लिये बनाये गये हैं, इनका पालन करें।

जागरूकता गोष्ठी के दौरान जे.एम. पब्लिक आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अनुज श्रीवास्तव, जे.एम.पब्लिक इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अभिमन्यु सिंह और ब्यापार मंडल के उपाध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल और यातायात उ0नि0 श्री योगेश यादव उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में प्रभावी पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अरूण कुमार पाठक एवं पैरोकार आरक्षी आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर मुकदमा में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप अपर सत्र न्यायालय तृतीय कोर्ट चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी के मु0अ0सं0 578/14 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 के आरोपित अभियुक्त (1) धर्मेन्द्र पटेल पुत्र राजनारायण निवासी बनकट थाना कोतवाली कर्वी (2) भूपेन्द्र उर्फ सज्जन निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास से एवं 10000/-10000/- रुपये के आर्थिक दण्ड तथा अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि अभियुक्तगण धर्मेन्द्र पटेल व भूपेन्द्र उर्फ सज्जन द्वारा अपना गैंग बनाकर अपराध कारित करते थे। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये थे। जिसमें तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 578/14 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था।